FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई　　　　　　　　मुकाम अराई (अजमेर)

- घासी पुत्र रामकरण जाति बैरवा निवासी कटसूरा तह0 अराई जिला अजमेर राज0 व अन्य
　　　　–वादीगण

बनाम

- रूपकान्ता पुत्री रामदयाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम कटसूरा तह0अराई जिला अजमेर व अन्य।
　　　　–प्रतिवादीगण।

किस्म मुकदमा– धारा 111 व 128 भू0राजस्व अधिनियम 1956

नंबर 18 /2025

ऑनलाइन नंबर 2025/.........

वकील वादीः– अशोक शर्मा　　　　वकील प्रतिवादीगण.......

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
25.4.2025	यह वाद पत्र वादीगण की ओर से वकील वादी श्री अशोक शर्मा ने अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू0राजस्व अधि. 1956 के तहत पेश किया गया। वाद पत्र पर वकील वादी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादीगणों की तलबी जरिये सम्मन/रजि. डाक की जाकर पत्रावली दिनांक 09.05.2025 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी अरांई	
9/5/25	पत्रावली पेश हुई आज ..... [illegible] ..... की ओर से [illegible] रखा गया। ..... तामील रिपोर्ट प्राप्त हो ..... पत्रावली पूर्व अनुसार दिनांक 6/6/25 को पेश हो। [signature]	अ.नि. 26 नटवरलाल अ.नि.-1 रूपकान्ता [illegible] अ.नि. 12 सहीक [illegible] 14 प्रभु अ.नि. 30
6/6/2025	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। ~~वकील~~ प्रतिवादी। लगभग 36 के तामिल शुदा नोटिस प्राप्त हुए। प्रतिवादी नं 1, 6, 12, 14, 22, 24, 25, 26 उप०। PO [illegible] बाहर बचाव हो। पत्रावली दि. 11/7/25 को पेश हो। [signature]	रमेशचन्द 22 [illegible] 24 घनश्याम 25 [illegible] 16 [illegible] 6
11/7/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उप.। वादी जवाब हेतु पत्राव... 12/9/25 ... को [signature] उपखण्ड अधिकारी अरांई	

12-9-25 पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप. । पत्रावली दिनांक 17/9/25 को पेश हो।

17/9/25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उप. ।
इंतजार जवाब हेतु
पत्रावली दिनांक 21/11/25 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
अरांई

21/11/25 पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारण उप. ।
प्रतिवादीगण ने जवाब प्रस्तुत किया, प्रति प्राप्त। वादी अंतिम बहस
पत्रावली दिनांक 26/11/25 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
अरांई

26/11/2025 पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप. । वकील वादी की बहस सुनी गई। निर्णय पृथक से टंकित कर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली पूर्ण होकर रिकॉर्ड में जमा हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अराई (अजमेर)

विधिक राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 18/2025

1. घासी पुत्र रामकरण उम्र बालिग

2. घीसा पुत्र रामकरण उम्र बालिग

3. मदन पुत्र रामकरण उम्र बालिग

सर्वजाति बैरवा सर्वनिवासीगण ग्राम कटसुरा तहसील अराई जिला अजमेर राज.

प्रार्थी

बनाम

1. रूपकान्ता पुत्री रामदयाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम कटसुरा तहसील अराई जिला अजमेर राज.

2. स्याणी पत्नी गणेश जाति बलाई निवासी ग्राम कटसुरा तहसील अराई जिला अजमेर राज.

3. कैलाश पुत्र मोडू

4. गोपाल पुत्र मोडू

5. घीसी पुत्री मोडू

6. लादूराम पुत्र मोडू

सर्वजाति छीपा (छींपी) सर्वनिवासी ग्राम कटसुरा तहसील अराई जिला अजमेर राज.

7. छोटी देवी पत्नी पूसाराम जाति बैरवा निवासी ग्राम चुरली तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज.

8. नर्बदा पत्नी घीसा जाति बैरवा निवासी ग्राम कटसुरा तहसील अराई जिला अजमेर राज.

9. रामेश्वर पुत्र देवीलाल जाति ढोली निवासी ग्राम कटसुरा तहसील अराई जिला अजमेर राज.

10. जन्नत पुत्री नजीर खां

11. फुला पुत्री नजीर खां

12. बाबू पुत्र नजीर खां

13. रहिसा पुत्री नजीर खां

14. सदीक पुत्र नजीर खां

सर्वजाति मुसलमान सर्व निवासी ग्राम कटसुरा तहसील अराई जिला अजमेर राज.

15. ओमप्रकाश पुत्र गोविन्द

16. सुरेश पुत्र गोविन्द

सर्वजाति खाती सर्व निवासी ग्राम कटसुरा तहसील अराई जिला अजमेर राज.

17. सरपंच ग्राम पंचायत कटसुरा तहसील अराई जिला अजमेर राज.

18. नोरत पुत्र स्वरूपा जाति जाट निवासी ग्राम धोलपुरिया तहसील अराई जिला अजमेर राज.

19. कालु पुत्र कन्हैयालाल

20. गोरीशंकर पुत्र कन्हैयालाल

21. मंवरी देवी पत्नी नोरतमल

22. रमेशचन्द पुत्र नोरतमल

23. राजू देवी पत्नी कन्हैयालाल

24. शिवरतन पुत्र नोरतमल

सर्वजाति छीपा (छीपी) निवासी ग्राम कटसुरा तहसील अराई जिला अजमेर राज.

WD

25. घनश्याम पुत्र छीतर पुत्र जाति ढोली निवासी ग्राम कटसुरा तहसील अराई जिला अजमेर राज.

26. नटवर पुत्र दुर्गालाल जाति ढोली निवासी ग्राम कटसुरा तहसील अराई जिला अजमेर राज.

27. कंचन पत्नी रतन

28. कमलेश पुत्री रतन

29. छगनी पत्नी बन्ना

30. प्रभु पुत्र बन्ना

31. पारसी पुत्री बन्ना

32. मिश्री पत्नी श्योराज

33. मोनिका पुत्री रतन

34. विश्राम पुत्र बन्ना

सर्वजाति जाट सर्वनिवासी ग्राम कटसुरा तहसील अराई जिला अजमेर राज.

35. प्रबन्धक महोदय, बैंक ऑफ बडौदा शाखा कटसुरा तहसील अराई जिला अजमेर राज.

36. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, अराई जिला अजमेर राज.

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956 के तहत

निर्णय दिनांक 26/11/2024

वकील वादी श्री अशोक शर्मा एडवोकेट

प्रार्थीगण की और से एक प्रार्थना पत्र वकील श्री अशोक शर्मा एडवोकेट .द्वारा अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया गया । वकील वादी ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि नया खाता संख्या 221 पुराना खाता संख्या 211 खसरा संख्या 2639/258 रकबा 1.2540 हैक्टेयर, खसरा संया 259 रकबा 1.6180 हैक्टेयर ग्राम कटसुरा पटवार हल्का कटसुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र अराई, तहसील अराई जिला अजमेर राजस्थान में स्थित है।प्रार्थीगण अपनी उपरोक्त वर्णित खातेदारी की कृषि भूमि पर पद बदस्तुर खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे है तथा प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी का अमल दरामद है तथा राजस्व नक्शा ट्रेस में भी प्रार्थीगण की भूमि का इन्द्राज चला आ रहा है। अप्रार्थीगण कृषि भूमियां जिनके खसरा संख्या 2627/258, 2632/258, 2634/258,2636/258,238/258,2640/258,2647/256,273, 2626/258,2633/258, 2637/258,2635/258, 2641/258 है जो प्रार्थीगण की कृषि भूमि के लगते हुए है तथा पडोस में स्थित है।प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य आये दिन उपरोक्त भूमि को लेकर सीमा विवाद चलता रहता है, अप्रार्थीगण संख्या 01 से 34 आये दिन प्रार्थीगण की भूमि में हस्तक्षेप करते रहते है जिससे प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य विवाद का विषय बना रहता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 34 आये दिन प्रार्थीगण की कृषि भूमि की सीमाओं से छेडछाड करते रहते है तथा उनकी कृषि भूमि की सीमाओं के संबंध में विवाद करते रहते है। उपरोक्त खसरा नम्बरान के मध्य सीमा विवाद होने की वजह से अप्रार्थीगण संख्या 1 से 34 आये दिन प्रार्थीगण के साथ उनकी खातेदारी भूमि पर विवाद उत्पन्न करने की वजह से प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 36 श्रीमान तहसीलदार महोदय अराई के कार्यालय में सीमाज्ञान कराने हेतु आवेदन किया जिस पर माननीय तहसीलदार महोदय, अराई के आदेश क्रमांक/भू. अ. / सीमाज्ञान/2023/08 व दिनांक 10.04.2023 की पालना में दिनांक 11.06.2024 को मौके पर पहुंचे तो अप्रार्थीगण संख्या 1 से 34 ने मौके पर नाप चौक होने के बावजूद भी सीमाओं को लांघ कर प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि की सीमाओं में हस्तक्षेप जारी रखा।प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 34 स्पष्ट खातेदारी रेवेन्यू रिकार्ड व ट्रेस में दर्ज है इसलिए प्रार्थीगण को उपरोक्त राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार सीमाओं के विवाद के निस्तारण हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। अप्रार्थी

संख्या 36 राजस्व रिकार्ड धारक है तथा राज्य सरकार का भू–अभिलेख प्रतिनिधि है एंव अप्रार्थी संख्या 35 के यहां अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 34 की कृषि आराजी रहन है इसलिए सीमा विवाद एंव पत्थरगढी करवाने हेतु आवश्यक पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है। प्रार्थीगण की भूमि नया खाता संख्या 221 पुराना खाता संख्या 211 खसरा संख्या 2639/258 रकबा 1.2540 हैक्टेयर, खसरा नं. 259 रकबा 1.6180 हैक्टेयर ग्राम कटसुरा पटवार हल्का कटसुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र अराई, तहसील अराई जिला अजमेर राजस्थान में स्थित है की कृषि भूमि के चारो तरफ मुताबिक राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस, मौके पर काबिज काश्त के अनुसार नाप चौप करवा कर सीमा ज्ञान करवाकर पत्थर गढी करवाये जाने हेतु आदेश प्रार्थीगण के पक्ष में प्रदान करावें इसलिए प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। ताकि सीमाओं का विवाद निस्तारित हो सके अतः पत्थरगढी का निवेदन किया है ।

प्रकरण दिनांक 25.4.2025 को दर्ज रजिस्टर किया गया । तथा नोटिस तामिली हेतु भिजवाये गये। तामिली रिपोर्ट प्राप्त हुई । दिनांक 21.11.2025 को प्रतिवादीगण को जवाब हेतु बार बार अवसर देने पर भी जवाब नही देने पर जवाब बन्द किया गया । दिनांक 26.11.2025 को बहस सुनी गई । तहसीलदार अराई की जाच रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी मौके पर काबिज है ।

हमारे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व मनन किया गया । वकील वादी की बहस सुनी गई । प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं कृषि भूमि नया खाता संख्या 221 पुराना खाता संख्या 211 खसरा संख्या 2639/258 रकबा 1.2540 हैक्टेयर, खसरा संया 259 रकबा 1.6180 हैक्टेयर ग्राम कटसुरा पटवार हल्का कटसुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र अराई, तहसील अराई का राजस्व रिकार्ड अनुसार मौके पर नाप चौक कर पत्थरगढी करने हेतु तहसीलदार अराई को कमिश्नर फीस 1000/–रु पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर फीस 1000/– रु जमा करवाने पर वे मौके पर उपस्थित होकर उक्त वाद ग्रस्त भूमि का पक्षकारान की उपस्थिति में नाप चौक कर पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 26.11.25 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
अंराई (अजमेर)